राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1440/2011
भैरूलाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला कलेक्टर, मनरेगा, झालावाड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड सह अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, झालावाड।
4. विकास अधिकारी सह परियोजना अधिकारी, मनरेगा, पंचायती समिति, सुनेल, जिला झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने नोटिस दिनांक 08.12.2011 (अनुलग्नक–5) जारी किया है, जिसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, झालावाड को यह आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पंचायत समिति, पिडावा में नरेगा योजना व अन्य योजना की विशेष जांच में पाई गयी अनियमितताओं के कारण 444717/– रूपये वसूली योग्य हैं, जिसकी वसूली सम्बन्धित जेटीए/एसटीए व सरपंच एवं सचिव से की जाए। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा मे नरेगा योजना प्रारम्भ होने से जांच अवधि तक हुए निर्माण कार्यों की विशेष जांच–भौतिक सत्यापन एवं वास्तविक मूल्यांकन किया गया जांच की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति मे ही सम्पन्न

हुई है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि नैचूरल जस्टिस का वायलेसन किया गया, पुर्णतया गलत और कपोलकल्पित है। कानून किसी भी कार्मिक को पदीय अनियमितता और पदीय दुरूपयोग की इजाजत नही देता है। अपीलार्थी ने पदीय दुरुपयोग कर राज्य के राजकोष को वित्तिय क्षति पहुंचाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की घोर अवहेलना कर अनियमितताऐ कारित किये जाने के कारण विशेष जांच–भौतिक सत्यापन एवं वास्तविक मूल्यांकन किया गया जांच रिपोर्ट आधार पर प्रस्तावित वसुली के संबध मे वसुली नोटिस–आदेश दिनांक 08.12.2011 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर झालावाड द्वारा जारी किया गया, अपीलार्थी के साथ अन्य कार्मिको मे वरिष्ठ तकनीकी सहायक और संरपच तथा ग्राम सेवक पदेन सचिव को उक्त कार्यों मे की गई अनियमितताओ के लिए दोषी घोषित किया जाकर उनसे भी वसुली प्रस्तावित की गई है, अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पक्ष प्रस्तुत किये जाने का मौका दिया गया, परन्तु अपीलार्थी ने कोई सन्तोषजनक अपना प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत नही किया। अपीलार्थी के संबध मे सम्पुर्ण कार्यवाही एवं चुनोती दिये गये नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाब के पारित किया गया है, जो पुर्णतया विधिक होने से तथा अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन तथ्यो पर आधारित और पोषणनीय नही होने से मय स्थगन आदेश के निरस्त योग्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत पंचायत समिति, पिडावा की ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा मे नरेगा योजना के प्रारम्भ से जांच अवधि तक हुए निर्माण कार्य–पुराना तालाब गहरा करना पिचिंग व कोरवाल निर्माण गोविन्दपुरा–उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन एवं वास्तविक मूल्यांकन किये जाने पर उक्त कार्य की एम०बी० और मौके के अनुसार कोरवाल निर्माण लम्बाई में 8.4 मीटर का अंतर पाया गया, जिसकी राशी 63844/–वसुली योग्य पायी गई। उक्तानुसार अपीलार्थी के संबंध मे जारी आदेश दिनांक 08.12.2011 विधिसम्मत है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया तथा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने यह अंकित किया है कि जांच के दौरान अपीलार्थी स्वयं उपस्थित था। हम यह पाते हैं कि केवल मात्र

जांच के समय उपस्थित रहने से प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों की पालना होना नहीं माना जा सकता। जांच की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, यह प्रकट नहीं होता है।

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्याय्संगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)